[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 6/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. (अ).–केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 487(अ) दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “18 रू. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “18 रू. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 6 मई, 2020 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 487(अ) दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2020- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मार्च, 2020 जिसे सा.का.नि. 172(अ), दिनांक 13 मार्च, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।